

No: EDN-U (E-V) 5% Trs Quota -2022 -1583-1586
Office of the,
Deputy Director Elementary Education
Una , Distt Una(H.P)

Dated: 27 April/2022

OFFICE ORDER

With the prior approval of the Govt. as conveyed by the Director of Elementary Education H.P. Shimla letter Number Shiksha- Pra. (111)-B(6)1/2021-5%-(Una) / Shimla dated 25.04.2022, **further orders issued vide Deputy Director Elementary Education Shimla Distt Shimla order Number Shiksha-Shimla-(Elem)(1-3)B-01/2022-5%(Transfer)-43856-58 dated 25.04.2022, Smt Kamlesh, Shastri working on Regular basis in GSSS Basdhera Distt Una, is hereby transferred to GSSS Pahal Distt Shimla against vacancy without TTA/JT under 5% quota in relaxation of ban on transfers subject to the acceptance of terms & conditions given overleaf.**

*Deputy Director Elementary Education,
Una Distt Una (HP)*

Endst No Even

Dated Even

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1 The Director of Elementary Education HP Shimla w.r. to their letter under reference.
2. The Deputy Director Elementary Education Shimla Distt Shimla (H.P)
w.r. t their letter under reference.
3. The Principal GSSS Basdhera Distt Una (H.P)
4. The Principal GSSS Pahal Distt Shimla (H.P)
5. The Individual Concerned.

*Deputy Director Elementary Education,
Una Distt Una (HP).*

Terms & Conditions for inter District Transfer

1. अनुबन्ध आधार पर कार्यरत अध्यापकों के अन्तर जिला स्थानान्तरण कार्मिक विभाग के पत्र संख्या PER(AP)-C-C(2)-2/2015-part दिनांक 13.04.2022 तथा शिक्षा निदेशालय के पत्र पृष्ठांकन संख्या EDN-H(Ele)A-1/2022-(128)personnel दिनांक 26.04.2022 में निर्धारित शर्तों के अनुसार लागू होंगे तथा अन्तर जिला स्थानान्तरण उपरान्त उनकी उस जिला में नई नियुक्ति होगी तथा पिछले सेवाकाल का कोई भी लाभ देय नहीं होगा।
2. अन्तर जिला स्थानान्तरण अध्यापक के पूरे सेवाकाल में सिर्फ एक बार ही किया जायेगा।
3. अन्तर जिला स्थानान्तरण होने के उपरान्त अध्यापक/अध्यापिका का पैतृक जिला के लिए प्रत्यावर्तन बारे अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।
4. अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु अनुरोध तभी स्वीकार्य होगा यदि सम्बन्धित जिला में पांच % कोटा उपलब्ध हो।
5. अन्तर जिला स्थानान्तरण इस शर्त पर होगा कि जिला को अध्यापक जाना चाहता है वहां पर पद रिक्त हो।
6. अन्तर जिला स्थानान्तरण के फलस्वरूप अध्यापक / अध्यापिका को उसकी पिछले जिला की वरिष्ठता खोनी पड़ेगी।
7. अन्तर जिला स्थानान्तरण उपरान्त अध्यापक को दूसरे जिला में कार्यग्रहण की तिथि से वरिष्ठता प्रदान की जाएगी तथा उस तिथि को जिला की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा।
8. दूसरे जिले में स्थानान्तरण पर जाते समय अध्यापक को कोई यात्रा भत्ता / कार्यग्रहण अवधि देय नहीं होगी।
9. अन्तर जिला स्थानान्तरणपर अध्यापक को पैतृक जिला के दूसरे जिला के लिए तभी कार्यभार मुक्त किया जाएगा, यदि दूसरे जिला में पद रिक्त हो। रिक्त पद की सूचना जिस जिला के लिए अध्यापक स्थानान्तरित है, के उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा उस जिला के उप निदेशक को दी जाएगी जहां से अध्यापक स्थानान्तरित कार्यभार मुक्त होना चाहता है।

Deputy Director Elementary Education
Una District Una (HP)